



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निकरानी 3618/2018/हरदा/भू.र

प्रकरण क्रमांक /अपील/ वर्ष-2018

श्री. सुरेश चंद ल काको
प्रस्तुत। प्रारम्भिक 11-6-18 को
दिनांक 19-6-18 पर।

तुलसीराम पुत्र श्री रामकिशन कहार, निवासी-
ग्राम कालघड़, तहसील खिरकिया, जिला-
हरदा (म.प्र.)निगरानीकर्ता

बनाम

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर
दिनांक 11-6-18

गजराजसिंह पुत्र श्री देवकरन सिंह राजपूत,
निवासी- ग्राम झिंगाघड़, तहसील हरसूद,
जिला- खण्डवा (म.प्र.) हाल निवासी- ग्राम
कालघड़, तहसील खिरकिया, जिला- हरदा
(म.प्र.)उत्तरवादी

अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी
प्रस्तुत है।

माननीय आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद के प्रकरण क्र.
367/अपील/वर्ष 2017-18 में पारित आदेश दिनांक 10.04.2018 एवं
अनुविभागीय अधिकारी खिरकिया जिला हरदा के प्रकरण क्र.

08/ट-6/वर्ष 2016-17 में पारित आदेश दिनांक 09.06.2017 से एवं
वाफन उत्तरवादी के श.स. अ. 10/3/6/2015-16 में पारित आदेश दि. 24.10.2016 से
परिवेदित होकर इस न्यायालय के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत की जा
रही है :-

निगरानी के तथ्य :-

19.6.18

आवेदक अधिवक्ता श्रचना उपरांत अनुपस्थित।
इन्हें समय-समय पर तीन बार अवाज लगाई गई।
तदुपरांत भी अनुपस्थित। अतः प्रकरण अधिवक्ता
की अनुपस्थिति में अद्यम देखी पर खारिज किया
जा रहा।

Handwritten signature

Handwritten signature

प्रस्तुतकार